बाद पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब दिनांक 11-4-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

बाज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब दिनांक 3-5-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

26/4/18 पुनश्चः- राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार के लिए पत्रावली प्राप्त की गई। पक्षकारों को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 3.5.18 को लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ..... नाहिडा .... में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 03–05–2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प नाहिडा पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल की ओर से प्रार्थना पत्र ब्रीच इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि गैरसायलान द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 8–4–2015 की अवहेलना की गयी है। इस संबंध में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करते हैं तो पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश की तामील कब हुई तथा अप्रार्थीगण द्वारा किस प्रकार से आदेश की अवहेलना की गयी है। प्रार्थी की दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के आदेश की अवहेलना या ब्रीच नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ब्रीच प्रमाणित नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ब्रीय प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प नाहिडा